ISSN: 3107-5088 (ONLINE)
ISSN: 3107-4898 (PRINT)

www.cognitivethinking.in

Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies

(An International, Open Access, Peer-Reviewed , Refereed & ISO Certified Journal)

Vol. 1 & Issue 4 (October - December 2025)

Editor-in-Chief
Dr. Kanwar Pal Singh

Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies
Volume-1, Issue-4 (October-December 2025), pp 14-158, ISSN: 3107-5088
www.cognitivethinking.in

किन्नरों में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

रोहित
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
एस. एस. वी. कॉलेज, हापुड़

Article: Received: 10/12/2025, Accepted: 27/12/2025, Published:30/12/2025
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18803078.

© 2025 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

शोध–सार: किन्नर समुदाय भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु ऐतिहासिक रूप से उन्हें मुख्यधारा से अलग रखा गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के बावजूद उनकी वास्तविक सामाजिक–आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। अधिकांश किन्नर गरीबी, अस्थिर आय और सीमित रोजगार अवसरों से जूझ रहे हैं। आज भी उनकी निर्भरता पारंपरिक पेशों–बधाई देना, नृत्य–गान और भिक्षावृत्ति पर बनी हुई है। आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल की कमी उनके आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा बनती है। पारिवारिक बहिष्कार और सामाजिक अस्वीकृति के कारण वे भावनात्मक व मानसिक असुरक्षा भी झेलते हैं। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तथा ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने उनकी पहचान और अधिकारों को मान्यता दी है, परंतु इन प्रावधानों की जानकारी और लाभ अधिकांश तक नहीं पहुँच पाए हैं। संस्थागत संवेदनशीलता की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह इनके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ हैं।

मुख्य शब्दः– *किन्नर, संवैधानिक अधिकार, जागरूकता, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय।*

प्रस्तावना: मानव सभ्यता के विकासक्रम में समाज ने प्रायः स्त्री और पुरुष की द्विआधारी लैंगिक संरचना को ही स्वाभाविक और सामान्य माना है। किंतु वास्तविकता यह है कि इतिहास और संस्कृति के अनेक उदाहरण इस द्वैत को चुनौती देते हैं। भारत जैसे विविधताओं से परिपूर्ण देश में सदियों से एक ऐसा समुदाय अस्तित्वमान है जिसे न तो पूर्णतः पुरुष माना गया और न ही स्त्री। यह समुदाय प्रचलित भाषा में किन्नर, ट्रांसजेंडर अथवा तीसरा लिंग कहलाता है। **(नन्दा, 1990)**

किन्नरों की उपस्थिति आधुनिक समाज की देन नहीं है, बल्कि वे प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना का हिस्सा रहे हैं। वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य तथा लोककथाओं में तीसरे लिंग अथवा नपुंसक का उल्लेख मिलता है। महाभारत में अर्जुन का बृहन्नला रूप धारण करना, शिखंडी का चरित्र **(गांगुली वाल्यूम 5)** तथा रामायण में भगवान राम द्वारा किन्नरों को आशीर्वाद देने की कथाकर्ता सभी प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि समाज ने इस समुदाय को हमेशा देखा, पहचाना और किसी न किसी रूप में स्वीकार भी किया।

समकालीन किन्नर संस्कृति, उनकी सामुदायिक प्रथाएँ और पहचान की वैधता मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं, मौखिक कहानियों और मध्यकालीन इतिहास की घटनाओं से जुड़ी हुई है। किन्नर पहचान को अक्सर विरोधाभासी माना जाता है, विशेष रूप से जब इसे विषमलैंगिक और लिंग–आधारित मानकों के संदर्भ में देखा जाए। यह पहचान "पुरुष = पुरुषत्व" और "स्त्री = स्त्रैणता" की द्विआधारी अवधारणाओं को अस्वीकार करती है और इसके

स्थान पर स्वयं को "तीसरे लिंग" के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसका उल्लेख भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहासों में मिलता है। **(पटनायक, 2014)**

औपनिवेशिक काल में स्थिति में भारी परिवर्तन आया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने विक्टोरियन नैतिकता और पश्चिमी जैविक लिंग की कठोर अवधारणाओं को भारतीय समाज पर थोपने का प्रयास किया। 1871 में पारित क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत *"हिजड़े"* को *"क्रिमिनल ट्राइब"* घोषित किया गया, जिससे उनका सामाजिक–आर्थिक बहिष्कार और भी बढ़ गया। इस कानून के परिणामस्वरूप किन्नर समुदाय को अपराधी और संदिग्ध नज़रिए से देखा जाने लगा। औपनिवेशिक शासन ने उनकी पारंपरिक भूमिकाओं, जैसे– आशीर्वाद देना, मांगलिक अवसरों पर उपस्थिति दर्ज करानाकृको *"भिखारियों का कार्य"* मानकर तिरस्कृत किया। इस प्रकार, जो समुदाय पहले धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सम्मानित था, उसे कानूनी और सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की स्थापना की, किंतु किन्नर समुदाय को अभी भी व्यावहारिक रूप से उपेक्षित किया जाता रहा। 1950 में संविधान लागू होने के बावजूद लंबे समय तक किन्नरों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें न तो रोजगार में उचित अवसर मिले और न ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच सुलभ रही। धीरे–धीरे न्यायपालिका और सामाजिक आंदोलनों ने उनकी स्थिति में सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के नालसा बनाम भारत सरकार निर्णय ने किन्नरों को *"थर्ड जेंडर"* के रूप में मान्यता दी और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत समान अधिकार दिए। यह निर्णय ऐतिहासिक था क्योंकि इसने न केवल किन्नरों को विधिक पहचान दी, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भी आरक्षण की संभावना प्रदान की। इसके पश्चात 2019 में पारित ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अधिनियम ने उनके अधिकारों को और सशक्त किया, हालांकि इसके क्रियान्वयन और व्यावहारिक स्वरूप पर अभी भी कई प्रश्नचिह्न बने हुए हैं।

साहित्य समीक्षा

मेघानी, एच. एवं पाटिल, जी. (2025) द्वारा किया गया अध्ययन "गुजरात के वडोदरा शहर में ट्रांसजेंडर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति" का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ट्रांसजेंडर समुदाय की जीवन परिस्थितियों, चुनौतियों और अवसरों को समझना था। यह अध्ययन समाजशास्त्र और क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में किया गया। शोधकर्ताओं ने क्षेत्र सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन विधियों का प्रयोग किया। अध्ययन में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। शोध से ज्ञात हुआ कि वडोदरा शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय अब भी मुख्यधारा से दूर है। शिक्षा एवं रोजगार में अवसर सीमित हैं और अधिकांश लोग अनौपचारिक या असुरक्षित कार्यों में लगे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित है और सामाजिक कलंक मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है। सकारात्मक पक्ष यह मिला कि कुछ सामुदायिक संगठन और एनजीओ प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं। शोध ने सुझाव दिया कि नगर निगम और राज्य सरकार ट्रांसजेंडर–हितैषी नीतियाँ बनाएँ, शिक्षा व कौशल विकास में निवेश करें, और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करें।

पौतुनथांग (2024) ने अपने इस अध्ययन में भारत में ट्रांसजेंडर समुदायों के ऐतिहासिक विकास, चुनौतियों, कानूनी अधिकारों और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। साहित्य, जनगणना डेटा और विधायी दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए अध्ययन ने प्राचीन समावेशन और उपनिवेशकालीन हाशिएकरण दोनों ही दृष्टि से ट्रांसजेंडर समुदाय के इतिहास को रेखांकित किया। इसके साथ ही अध्ययन में पारिवारिक बहिष्कार, निम्न साक्षरता और रोजगार दरें, सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसे मौजूदा मुद्दों को उजागर किया गया। हालांकि 2011 की जनगणना और 2014 का NALSA निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता और कानूनी पहचान प्रदान करता है, लेकिन उनका दैनिक स्तर पर समावेशन अभी भी विलंबित है। निष्कर्ष में नीति–निर्माताओं, नागरिक समाज और शैक्षिक संस्थानों से समेकित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि कलंक को समाप्त किया जा सके और अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।

सिंह, वी. के. एवं उपाध्याय, ए. के. (2023) द्वारा किया गया अध्ययन "भारत में ट्रांसजेंडर के लिए मानवाधिकार एवं विधिक प्रावधानः हाशिये से सामाजिक समावेशन की ओर" का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उपलब्ध मानवाधिकारों और विधिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना और उनके सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को समझना था। शोधकर्ताओं ने भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले, ट्रांसजेंडर (अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि कानूनी मान्यता

और अधिकार मिलने के बावजूद ट्रांसजेंडर समुदाय अभी भी भेदभाव, रोजगार की असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और सामाजिक अस्वीकार्यता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। शोध ने यह भी बताया कि मानवाधिकार और विधिक ढाँचे ने समावेशन की दिशा में राह बनाई है लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। यह अध्ययन बताता है कि विधिक प्रावधान और मानवाधिकार तभी सफल होंगे जब समाज का दृष्टिकोण भी समावेशी होगा। सुझाव दिया गया कि ट्रांसजेंडर के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं के कठोर क्रियान्वयन पर बल दिया जाए। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में समान अवसर देकर उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए।

नितिका एवं भट्ट, जे. ए. (2020) द्वारा किया गया अध्ययन "भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार" का उद्देश्य भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, न्यायालय के निर्णयों और सरकारी नीतियों की समीक्षा करना था। यह अध्ययन बताता है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना और समाज में दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने विधिक दस्तावेजों, न्यायालयीय फैसलों, राष्ट्रीय नीतियों और द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के NALSA बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2014) निर्णय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग की कानूनी मान्यता दी और समान अधिकार सुनिश्चित किए। ट्रांसजेंडर (अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रावधान दिए। फिर भी, व्यावहारिक स्तर पर भेदभाव, सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। शोध ने सुझाव दिया कि सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कार्यक्रम चलाने चाहिए। संवेदनशीलता प्रशिक्षण और मीडिया के माध्यम से जागरूकता भी बढ़ाई जाए।

सुब्बैयाह, एवं एम. वी. (2017) ने तमिलनाडु राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और कानूनी मुद्दों तथा सरकारी प्रयासों के प्रभावों का अध्ययन किया। यह अध्ययन कानूनी दस्तावेजों और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों पर आधारित था। अध्ययन में बताया गया कि तमिलनाडु में मुफ्त आवास, पहचान पत्र वितरण, और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड जैसी पहलें हुईं, लेकिन फिर भी रोजगार की कमी और कानूनी सुरक्षा में कमियाँ बनी रहीं। निष्कर्ष में कहा गया कि तमिलनाडु का मॉडल सराहनीय है, लेकिन पूरे भारत में इस प्रकार की पहल की जानी चाहिए। सुझावों में प्रभावी कार्यान्वयन, समुदाय की भागीदारी और कानूनी सुधारों की आवश्यकता जताई गई।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. किन्नरों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. किन्नरों में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों के आधार पर शोध की प्रविधि का ढ़ाँचा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। प्रस्तुत शोध के लिए आँकडों का एकत्रीकरण साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन विधि से किया गया है। प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का गाजियाबाद जिला एवं मेरठ जिला है। शोध के उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिमकुंदक विधि से 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

परिणाम एवं चर्चा

शोध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्र किये गये आँकडों का विश्लेषण निम्न प्रकार है

1. किन्नरों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

सारणी संख्या 1.1 से 1.11 में किन्नरों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए उनकी आयु, लैंगिक पहचान, धर्म, जाति श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, आय (दैनिक), पारिवारिक ढ़ाँचा, वैवाहिक स्थिति, सन्तान तथा आवासीय स्थिति के सम्बन्ध में तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की गई है।

सारणी संख्या – 1.1
आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	18-25	38	19.00%
2	26-35	40	20.00%

3	36-45	65	32.50%
4	46-60	39	19.50%
5	60+	18	09.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.1 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के आयु समूह को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 38 उत्तरदाता 18–25 वर्ष आयु वर्ग के है। 40 उत्तरदाता 26–35 वर्ष आयु वर्ग के है, 65 उत्तरदाता 36–45 वर्ष आयु वर्ग के है, 39 उत्तरदाता 46–60 वर्ष आयु वर्ग के है, तथा 18 उत्तरदाता 60 से अधिक वर्ष आयु वर्ग के है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि उत्तरदाताओं का बड़ा भाग (32.50%) 36–45 वर्ष आयु वर्ग का है, जबकि न्यूनतम भाग (09.00%) 60 से अधिक आयु वर्ग का है।

सारणी संख्या – 1.2

लैंगिक पहचान के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	लैंगिक पहचान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष किन्नर	146	73.00%
2	महिला किन्नर	54	27.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.2 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं की लैंगिक पहचान को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 146 उत्तरदाता पुरुष किन्नर हैं, तथा 54 उत्तरदाता महिला किन्नर हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी के आधार पर पाया गया कि अधिकांश पुरुष किन्नर अपनी समलैंगिक प्रवृत्ति तथा बेरोजगारी के कारण सर्जरी के माध्यम से अपने गुप्तांग को कटवाकर किन्नर बने हैं।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाता (73.00%) पुरुष किन्नर हैं, जबकि न्यूनतम उत्तरदाता (27. 00%) महिला किन्नर हैं।

सारणी संख्या – 1.3

धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	धर्म	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	64	32.00%
2	मुस्लिम	136	68.00%
3	अन्य	00	00.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.3 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के धर्म को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 64 उत्तरदाता हिन्दू हैं, 136 उत्तरदाता मुस्लिम हैं, तथा कोई उत्तरदाता अन्य धर्म से सम्बन्धित नहीं है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाता (68%) मुस्लिम धर्म से हैं, जबकि न्यूनतम उत्तरदाता (32%) हिन्दू धर्म से है।

सारणी संख्या – 1.4

जाति श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	जाति श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत

1	सामान्य वर्ग	86	43.00%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	70	35.00%
3	अनुसूचित जाति	44	22.00%
4	अनुसूचित जनजाति	00	00.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.4 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं की जाति श्रेणी को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 86 उत्तरदाता सामान्य वर्ग के हैं, 70 उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 44 उत्तरदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं तथा कोई भी उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित नहीं है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि उत्तरदाताओं का बड़ा भाग (43.00%) सामान्य वर्ग से हैं, जबकि उत्तरदाताओं का न्यूनतम भाग (22.00%) अनुसूचित जाति वर्ग से हैं।

सारणी संख्या – 1.5

शैक्षिणिक योग्यता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	1–5	72	36.00%
2	6–10	30	15.00%
3	12	56	28.00%
4	स्नातक	07	03.50%
5	अनपढ़	35	17.50%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.5 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 72 उत्तरदाता 1–5 कक्षा तक पढ़े हैं, 30 उत्तरदाता 6–10 कक्षा तक पढ़े हैं, 56 उत्तरदाता 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं, 07 उत्तरदाता स्नातक तक पढ़े है तथा 35 उत्तरदाता अनपढ़ हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनपढ़ अथवा कम पढ़े लिखे होने का मुख्य कारण उनका पढ़ाई में मन न लगना तथा विद्यालय जाने पर सामाजिक भेदभाव है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि उत्तरदाताओं का बड़ा भाग (36.00%) कक्षा 1–5 तक पढ़े हैं, जबकि उत्तरदाताओं का न्यूनतम भाग (03.50%) स्नातक कक्षा तक पढ़े हैं।

सारणी संख्या – 1.6

व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सरकारी नौकरी	00	00.00%
2	निजी नौकरी	00	00.00%
3	यौन–कर्मी	68	34.00%
4	बधाई देना	132	66.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.6 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के व्यवसाय को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से कोई भी उत्तरदाता सरकारी नौकरी तथा निजी नौकरी में नहीं हैं, 68 उत्तरदाता यौन–कर्मी हैं, तथा 132 उत्तरदाता मांगलिक अवसरो पर बधाई देने का कार्य करते हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी के आधार पर यह भी पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता बधाई देने के साथ–साथ यौन–कर्मी (Sex Worker) का कार्य भी करते है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाता (66.00%) उत्तरदाता बधाई देने का कार्य करते है। जबकि न्यूनतम उत्तरदाता (34.00%) यौन–कर्मी का कार्य करते हैं।

सारणी संख्या – 1.7

दैनिक आय के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	दैनिक आय (रूपये में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	5000 से कम	40	20.00%
2	5000–10000	70	35.00%
3	10000–20000	34	17.00%
4	20000–50000	31	15.50%
5	50000 से अधिक	25	12.50%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.7 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के आय को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 40 उत्तरदाता रु. 5000 प्रतिदिन आय वर्ग के हैं, 70 उत्तरदाता रु. 5000–10000 प्रतिदिन आय वर्ग के हैं, 34 उत्तरदाता रु. 10000–20000 प्रतिदिन आय वर्ग के हैं, 31 उत्तरदाता रु. 20000–50000 प्रतिदिन आय वर्ग के हैं तथा 25 उत्तरदाता रु. 50000 से अधिक प्रतिदिन आय वर्ग के हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि उत्तरदाताओं के द्वारा प्रतिदिन की आय का बड़ा भाग बधाई के माध्यम से आता है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (35.00%) की दैनिक आय रु. 5000 है, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (12.50%) की दैनिक आय रु. 50000 से अधिक है।

सारणी संख्या – 1.8

पारिवारिक ढ़ाँचे के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	पारिवारिक ढ़ाँचा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के साथ	45	22.50%
2	गुरू के साथ डेरे में	140	70.00%
3	अकेले	15	07.50%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.8 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के पारिवारिक ढाँचे को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 45 उत्तरदाता अपने परिवार के साथ रहते हैं, 140 उत्तरदाता अपने गुरू के साथ डेरे में रहते हैं, तथा 15 उत्तरदाता अकेले रहते हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी के आधार पर यह पता चला कि अधिकांश उत्तरदाता जो गुरू के साथ डेरे में रहते है कभी–कभी व त्यौहारों एवं सामाजिक अवसरों पर अपने परिवार के पास भी जाते रहते हैं।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाता (70.00%) अपने गुरू के साथ डेरे में रहते हैं, जबकि न्यूनतम उत्तरदाता (07.50%) अकेले रहते हैं।

सारणी संख्या – 1.9
वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	वैवाहिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अविवाहित	112	56.00%
2	विवाहित	78	39.00%
3	तलाकशुदा	10	05.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.9 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 112 उत्तरदाता अविवाहित हैं, 78 उत्तरदाता विवाहित हैं, तथा 10 उत्तरदाता तलाकशुदा हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी के आधार पर पता चला कि कुछ अविवाहित उत्तरदाता लिव–इन–रिलेशनशिप में रहते हैं।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाता (56.00%) अविवाहित हैं, जबकि न्यूनतम उत्तरदाता (05.00%) तलाकशुदा हैं।

सारणी संख्या – 1.10
सन्तान के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	सन्तान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	58	29.00%
2	नहीं	142	71.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.10 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं की सन्तान की जानकारी को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 58 के सन्ताने हैं, तथा 142 उत्तरदाताओं की सन्तान नहीं हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी के आधार पर पता चला कि जिन उत्तरदाताओं की सन्ताने हैं उनमें से कुछ ने सन्तानों को गोद लिया हुआ है तथा कुछ पुरुष किन्नर उत्तरदाता किन्नर बनने से पूर्व वैवाहिक जीवन में रहते थे जिनकी सन्तानें हैं।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (71.00%) के सन्तान नहीं हैं, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (29.00%) की सन्तान हैं।

सारणी संख्या – 1.11
आवासीय स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	आवासीय स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अपना आवास	120	60.00%
2	किराए का आवास	80	40.00%
3	बेघर	00	00.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 1.11 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 120 उत्तरदाताओं के पास अपना आवास हैं, 80 उत्तरदाता किराए के आवास में रहते हैं, तथा कोई भी उत्तरदाता बेघर नहीं हैं।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाता (60.00%) के पास अपना आवास हैं, जबकि न्यूनतम उत्तरदाता (40.00%) किराए के आवास में रहते हैं।

2. किन्नरों में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

सारणी संख्या 2.1 से 2.10 में किन्नरों में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए उत्तरदाताओं के समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता, जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता, शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता, काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता, किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 की प्रभावशीलता, किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में प्रतिभागिता, किन्नर अधिकारों और जागरूकता को बढ़ावा देने लिए शिक्षा की भूमिका, सरकार द्वारा किन्नरों की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्य होने के बारे में धारणा तथा किन्नरों के लिए नीतियों/कानूनों को बदलने की जरूरत के सम्बन्ध में तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की गई है।

सारणी संख्या – 2.1
समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	40	20.00%
2	नहीं	100	50.00%
3	कुछ हद तक	60	30.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.1 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं में समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 40 उत्तरदाताओं में समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता है, 100 उत्तरदाताओं में समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता नहीं है तथा 60 उत्तरदाताओं में समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता कुछ हद तक है। अतः उत्तरदाताओं में समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति कम जागरूकता का मुख्य कारण उत्तरदाताओं का कम शिक्षित होना है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (50.00%) में समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता नहीं है, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (20.00%) की समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14) के प्रति जागरूकता है।

सारणी संख्या – 2.2
जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	ौर स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता	दाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	45	22.50%
2	नहीं	105	52.50%
3	कुछ हद तक	50	25.00%

	कुल योग	200	100%

सारणी 2.2 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं में जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 45 उत्तरदाताओं जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता है, 105 उत्तरदाताओं में जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता नहीं है तथा 50 उत्तरदाताओं जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता कुछ हद तक है। अतः उत्तरदाताओं में जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता में कमी का मुख्य कारण उनका कम शिक्षित होना है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (52.50%) जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता नहीं है, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (25.00%) जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–21) के प्रति जागरूकता है।

सारणी संख्या – 2.3
शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	38	19.00%
2	नहीं	95	47.50%
3	कुछ हद तक	67	33.50%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.3 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं में शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 38 उत्तरदाताओं शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता है, 95 उत्तरदाताओं में शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता नहीं है तथा 67 उत्तरदाताओं में शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता कुछ हद तक है। अतः उत्तरदाताओं में शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता में कमी का मुख्य कारण उनका कम शिक्षित होना है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि उत्तरदाताओं का बड़ा भाग (47.50%) में शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता नहीं है, जबकि उत्तरदाताओं का छोटा भाग (33.50%) की शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–21ए) के प्रति जागरूकता है।

सारणी संख्या – 2.4
काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	48	24.00%
2	नहीं	115	57.50%
3	कुछ हद तक	37	17.50%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.4 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं में काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 48 उत्तरदाताओं में काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता है, 115 उत्तरदाताओं में काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता नहीं है तथा 37 उत्तरदाताओं में काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता कुछ हद तक है। अतः उत्तरदाताओं में काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता में कमी का मुख्य कारण उनका कम शिक्षित होना है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (57.50%) में काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता नहीं है, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (17.50%) की काम का अधिकार (अनुच्छेद–41) के प्रति जागरूकता है।

सारणी संख्या – 2.5
सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	56	28.00%
2	नहीं	104	52.00%
3	कुछ हद तक	40	20.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.5 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 56 उत्तरदाताओं में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता है, 104 उत्तरदाताओं में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता नहीं है तथा 40 उत्तरदाताओं में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता कुछ हद तक है। अतः उत्तरदाताओं में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता में कमी का मुख्य कारण उनका कम शिक्षित होना है।

अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (52.00%) में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता नहीं है, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (20.00%) की सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद–38) के प्रति जागरूकता है।

सारणी संख्या – 2.6
किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 की प्रभावशीलता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 की प्रभावशीलता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	45	22.50%
2	नहीं	50	25.00%
3	कुछ हद तक	105	52.50%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.6 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के अनुसार किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 की प्रभावशीलता को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 45 उत्तरदाताओं के अनुसार किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 प्रभावशाली है, 50 उत्तरदाताओं के अनुसार किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 प्रभावशाली नहीं है तथा 105 उत्तरदाताओं के अनुसार किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 कुछ हद तक प्रभावशाली है। तथ्यों के आधार पर पता चलता है कि उत्तरदाताओं के अनुसार किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 की प्रभावशीलता की कमी का मुख्य कारण किन्नरों का अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति कम जागरूकता एवं सरकार व सरकारी तंत्र का किन्नरों के प्रति कम संवेदनशील होना है।
अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (52.50%) के अनुसार किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 कुछ हद तक प्रभावशाली कुछ हद तक है, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (22.50%) के अनुसार किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम–2019 प्रभावशाली है।

सारणी संख्या – 2.7
किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में प्रतिभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में प्रतिभागिता	ताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	28	14.00%
2	नहीं	164	82.00%
3	कभी–कभी	08	04.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.7 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के अधिकार के लिए किसी वकालत/आंदोलन में प्रतिभाग करने को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 28 उत्तरदाताओं ने किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में भाग लिया, 164 उत्तरदाताओं ने किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में भाग नहीं लिया तथा 08 उत्तरदाताओं ने किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में कभी–कभी भाग लिया।
अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (82.00%) ने किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में भाग नहीं लिया, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (04.00%) ने किन्नर अधिकारों के लिए आंदोलन में कभी–कभी भाग लिया।

सारणी संख्या – 2.8
किन्नर अधिकारों और जागरूकता को बढ़ावा देने लिए शिक्षा की भूमिका के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	अधिकारों और जागरूकता को बढ़ावा देने लिए शिक्षा की भूमिका	ताओं की संख्या	प्रतिशत
1	उच्च भूमिका	106	53.00%
2	मध्यम भूमिका	84	42.00%
3	निम्न भूमिका	10	05.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.8 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के द्वारा किन्नर अधिकारों और जागरूकता को बढ़ावा देने लिए शिक्षा की भूमिका को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 106 उत्तरदाताओं ने किन्नर अधिकारों और जागरूकता को बढावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका को उच्च माना है, 84 उत्तरदाताओं किन्नर

अधिकारों और जागरूकता को बढावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका को मध्यम माना है तथा 10 उत्तरदाताओं ने किन्नर अधिकारों और जागरूकता को बढावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका को निम्न माना है।
अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (53.00%) ने किन्नर अधिकारों और जागरूकता को बढावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका को उच्च माना है जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (05.00%) ने किन्नर अधिकारों और जागरूकता को बढावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका को निम्न माना है।

सारणी संख्या – 2.9
सरकार द्वारा किन्नरों की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्य होने के बारे में धारणा के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

क्र.स.	र द्वारा किन्नरों की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्य होने के बारे में धारणा	ाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पर्याप्त	161	80.50%
2	अपर्याप्त	15	07.50%
3	निश्चित नहीं	24	12.00%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.9 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं ने सरकार द्वारा किन्नरों की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्य होने के बारे में धारणा को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 161 उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार ने किन्नरों की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्य किया है, 15 उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार ने किन्नरों की रक्षा के लिए अपर्याप्त कार्य किया है तथा 24 उत्तरदाता सरकार द्वारा किन्नरों की रक्षा के लिए किये गये कार्यो के प्रति निश्चित नहीं है।
अतः परिणाम दर्शाते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (80.50%) के अनुसार सरकार ने किन्नरों की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्य किया है, जबकि न्यूनतम उत्तरदाताओं (07.50%) के अनुसार सरकार ने किन्नरों की रक्षा के लिए अपर्याप्त कार्य किया है।

सारणी संख्या – 2.10
किन्नरों के लिए नीतियों/कानूनों को बदलने की जरूरत के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

.स.	रों के लिए नीतियों/कानूनों को बदलने की जरूरत	ाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	75	37.50%
2	नहीं	80	40.00%
3	निश्चित नहीं	45	22.50%
	कुल योग	**200**	**100%**

सारणी 2.10 इस अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के लिए नीतियों/कानूनों को बदलने की जरूरत को दर्शाती है। सारणी दर्शाती है कि 200 उत्तरदाताओं में से 75 उत्तरदाताओं का मानना है कि किन्नरों के लिए नीतियों/कानूनों को बदलने की जरूरत है, 80 उत्तरदाताओं का मानना है कि किन्नरों के लिए नीतियों/कानूनों को बदलने की जरूरत नहीं है तथा 45 उत्तरदाताओं का विचार किन्नरों के लिए कि नीतियों/कानूनों को बदलने के बारे में निश्चित नहीं है।
अतः परिणाम दर्शाते है कि उत्तरदाताओं के बड़े भाग (40.00%) का मानना है कि किन्नरों के लिए नीतियों/कानूनों को बदलने की जरूरत नहीं है, जबकि उत्तरदाताओं के सबसे छोटे भाग (22.50%) का विचार किन्नरों के लिए कि नीतियों/कानूनों को बदलने के बारे में निश्चित नहीं है।

निष्कर्ष

किन्नर समुदाय भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु इतिहास से लेकर आज तक उन्हें सामाजिक मुख्यधारा से अलग–थलग रखा गया है। प्रस्तुत शोधकार्य ने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि विधिक एवं संवैधानिक स्तर पर किन्नरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में उनकी स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यह सामने आया कि अधिकांश किन्नर गरीबी, अस्थिर आय और सीमित रोजगार अवसरों से जूझ रहे हैं। पारंपरिक पेशों जैसे बधाई देना, नृत्य–गान और भिक्षावृत्ति पर उनकी निर्भरता आज भी बनी हुई है। आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल की कमी ने उनकी आर्थिक प्रगति के अवसरों को बहुत सीमित कर दिया है। पारिवारिक बहिष्कार और समाज में अस्वीकृति ने उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से भी असुरक्षित बना दिया है। कानूनी अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा ट्रांसजेंडर (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 ने किन्नरों की पहचान और अधिकारों को मान्यता दी है। परंतु वास्तविकता यह है कि अधिकतर किन्नरों तक इन प्रावधानों की जानकारी और लाभ नहीं पहुँच पाता। सरकारी संस्थाओं में संवेदनशीलता की कमी तथा समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण इन अधिकारों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

सुझाव

●कानूनी जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों तथा "ट्रांसजेंडर (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019" की जानकारी देकर सशक्त बनाया जा सकता है।

●अंततः, समाज की मानसिकता बदलना सबसे जरूरी है। मीडिया, शैक्षिक संस्थानों और परिवारों को मिलकर यह संदेश देना होगा कि किन्नर भी समाज के समान नागरिक हैं, जिन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है।

संदर्भ सूची

1. सेरेना नंदा (1990). नीदर मैन नॉर वूमनः – हिजड़ाज़ ऑफ इंडिया. बेलमोंटः वैड्सवर्थ पब्लिशिंग, पेज 17–18.
2. किसारी मोहन गांगुली (अनुवादक) (1883–1896). – महाभारत ऑफ कृष्ण–द्वैपायन व्यास, वॉल्यूम 4–5. भारत प्रेस, कोलकाता.
3. हर्षा मेघानी एवं डॉ. गौतम पाटिल (2025). अ स्टडी ऑफ "सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर इन वडोदरा सिटी ऑफ गुजरात". इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज़, वॉल्यूम 6(4), पेज 1521–1531. DOI: https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0425.1362
4. देवदत्त पटनायक (2014). – प्रेग्नेंट किंग. नई दिल्लीः पेंगुइन बुक्स.
5. एन. पाउतुनथांग (2024). हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, चौलेंजेस, लीगल राइट्स, एंड करंट स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ इन इंडिया. रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, 9(4), 32–41. https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n04.005
6. नितिका एवं डॉ. जावेद अहमद भट (2020). ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (IJCRT), वॉल्यूम 8, इशू 11, पेज 1009–1015. https://www.ijcrt.org
7. ए. सुब्बैयाह एवं वी. एम. (2017). सोशल एंड लीगल इश्यूज़ एंड इट्स डेवलपमेंट सीनारियो ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल इन – मॉडर्न सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू तामिल नाडु. जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 2(2), 35–40. https://jswep.in/index.php/jswep/article/view/28
8. विकास कुमार सिंह एवं डॉ. अखिलेश कुमार उपाध्याय (2023). ह्यूमन राइट्स एंड लेजिस्लेशन्स फॉर ट्रांसजेंडर इन इंडियाः ए पाथ फ्रॉम मार्जिनलाइजेशन टू सोशल इन्क्लूज़न. जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेटिव रिसर्च (JETIR), 10(9), www.jetir.org